न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारी : नरेश बुनकर, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 63/2023 FSSA

1. सरकार जरिये श्री मुकेश प्रजापत खाद्य सुरक्षा अधिकारी
   कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा । — आवेदक—

बनाम

1. श्री सुवालाल मीना पुत्र श्री लीलाराम मीना
   एफबीओ मैसर्सः—लक्ष्मी डेयरी एण्ड प्रोविजनल स्टोर, गुढा रोड, बांदीकुई जिला दौसा।

— अभियुक्त—

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: अप्रार्थी अभियुक्त स्वयं उपस्थित।

—: आदेश :— दिनांकः— 21.02.2024

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी मुकेश प्रजापत ने दिनांक 29.04.2023 को दोपहर 12.05 बजे मैसर्स लक्ष्मी डेयरी एण्ड प्रोविजनल स्टोर, गुढा रोड, बांदीकुई जिला दौसा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय दुकान पर श्री सुवालाल मीना पुत्र श्री लीलाराम मीना उपस्थित मिला ने स्वयं को उक्त फर्म का मालिक होना बताया को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पंजीकरण दिखाने के लिये कहा तो उसने खाद्य पंजीकरण होना जाहिर किया। निरीक्षण के समय फर्म पर एक स्टील के डिब्बे में 8 किलोग्राम घी खुला **(Ghee Loose)** आम जनता को विक्रय हेतु रखा हुआ था। इसमें मिलावट का शक होने पर इसमे से नमूने की जॉच हेतु 800 ग्राम घी खुला **(Ghee Loose)** को अच्छी तरह से हिलामिलाकर एक साफ सूखे व खाली बर्तन में खरीदा। जिसकी कीमत 560 रूपये नकद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूने के लिये खरीदशुदा घी खुला **(Ghee Loose)** को डिजिटल वेट मशीन से तौलकर 200—200 ग्राम चार साफ सूखी एवं खाली प्लास्टिक की बोतलों में बराबर—बराबर डाला। चारो बोतलों को ढक्कन लगाकर बन्द किया। चार लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व एफ.बी.ओं. के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को नमूनों पर चिपकाकर नमूनों को अलग—अलग एक खाकी कागज में लपेटकर नमूनों पर डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर ए.जी.—3408 गोंद से चिपकाकर नमूनों को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर नमूनों को चार—चार जगह चपडी से सील मोहर कर नमूनों पर एफबीओ(विक्रेता) गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारो सील बन्द नमूनों को अपने कब्जे में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं0 6 की एक प्रति व नमूने का एक सील बंद भाग एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं0 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने का एक सील बंद भाग व फार्म नं0 6 का सील बंद लिफाफा श्री महादेव प्रसाद सैनी च.श्र.क. मुख्यालय द्वारा दिनांक 01.05.2023 को खाद्य विश्लेष[illegible] अलवर के यहां जमा करवाये। नमूने के दो सील बन्द भाग व फार्म नं0 6 की दो प्रतियां एक आ[illegible] क[illegible] में सील कर स्वयं द्वारा दिनांक 01.05.2023 को डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा को जमा करवाये तथा [illegible] का चतुर्थ सीलबंद भाग व फार्म नं0 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा [illegible] 01.05.2023 को डी.ओ. व [illegible].एम.एच.ओ. को जमा करवाये।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उक्त खाद्य पदार्थ घी खुला **(Ghee Loose)** के नमूने की खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./761/एक्ट/2023/783 दिनांक 12.05.2023 के अनुसार खाद्य पदार्थ अमानक **(SubStandard)** स्तर का पाया गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी अभियुक्त के विरूद्ध न्याय निर्णय आवेदन पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्त की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी अभियुक्त की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./761/एक्ट/2023/783 दिनांक 12.05.2023 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ घी खुला **(Ghee Loose)** के नमूने की जांच में बी. आर. रीडिंग 44.6 पाई गई हैं जो कि 40.0 से 44.0 के बीच होनी चाहिये थी। तय मानको से अधिक बी. आर. रीडिंग पाई गई है। नमूने की **Reichert-Meissl Value** 7.05 पाई गई है जो कि 24.0 से कम नहीं होनी चाहिये थी। नमूने में आयोडीन वैल्यू 54.34 पाई गई हैं जो कि 25.0 से 38.0 के बीच होनी चाहिये थी। **Saponification Value** भी 203.87 ही पाई गई है। जो कि 205.0 से 235.0 के बीच होनी चाहिये थी। बी. आर. रीडिंग, आयोडीन वैल्यू तय मानको से अधिक पाये जाने एवं **Reichert-Meissl Value** तथा **Saponification Value** तय मानको से कम पाये जाने के कारण घी खुला **(Ghee Loose)** का नमूना अमानक **(SubStandard)** स्तर का पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त ने अमानक **(SubStandard)** स्तर के खाद्य पदार्थ घी खुला **(Ghee Loose)** का विक्रय कर एफएसएसए 2006 की धारा 26(2)(II) का उल्लंघन किया है। अतः अधिनियम की धारा 51 एफएसएसए 2006 में वर्णित प्रावधानो के तहत अप्रार्थी अभियुक्त को अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा ग्राहको की मांग के अनुसार खाद्य पदार्थ घी खुला **(Ghee Loose)** का विक्रय किया जाता है। प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार की कोई मिलावट खाद्य पदार्थ में नहीं की गई है। जांच में पाई गई कमियों को सुधार कर भविष्य में प्रार्थी द्वारा ऐसी गलती नहीं की जायेगी। प्रकरण में कम से कम जुर्माना लगाये जाकर प्रकरण को ड्रोप फरमाया जाने का अनुरोध किया गया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस. /761/एक्ट/2023/783 दिनांक 12.05.2023 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ घी खुला **(Ghee Loose)** का नमूना अमानक **(SubStandard)** स्तर का पाया गया है। जिसका जुर्माना अधिनियम की धारा 51 एफएसएसए 2006 में वर्णित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा अमानक **(SubStandard)** स्तर के खाद्य पदार्थ घी खुला **(Ghee Loose)** का विक्रय किये जाने पर अपराध कारित होने के फलस्वरूप अप्रार्थी अभियुक्त श्री सुवालाल मीना पुत्र श्री लीलाराम मीना एफबीओ मैसर्सः—लक्ष्मी डेयरी एण्ड प्रोविजनल स्टोर, गुढा रोड, बांदीकुई जिला दौसा पर 15000/—(अक्षरे पन्द्रह हजार रूपये) की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्त उक्त शास्ति राशि निर्णय दिनांक 21.02.2024 के एक माह के अन्दर—अन्दर खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत निर्धारित **(Chief Medical & Health Officer Dausa)** के मद 0210—04—800—03—00 में जमा कराकर चालान की प्रति न्यायालय में प्रस्तुत करे ।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 21.02.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(नरेश बुनकर)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

क्रमांक/**FSSA/** दिनांकः— 21.02.2024

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2024.02.28 16:03:50 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दौसा।
3. श्री सुवालाल मीना पुत्र श्री लीलाराम मीना
   एफबीओ मैसर्सः—लक्ष्मी डेयरी एण्ड प्रोविजनल स्टोर, गुढा [illegible], बांदीकुई जिला दौसा।

(नरेश बुनकर)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा